यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार** के माह **नवम्बर 2017 से सितम्बर 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.10.2020 से 05.11.2020 तक श्री एस. के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(i) **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न पेयजल कार्यों के निर्माण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

(iii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		मुख्यलेखाशीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य	बचत	टिप्पणी
	स्थापना	गैरस्थापना		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय			
2017-18	00	00	10200/2003	29.42	29.40	24.17	19.80	.024	4.368	
2018-19	0.024	4.368		155.22	152.84	31.38	33.51	2.40	2.23	
2019-20	2.405	2.230		144.08	144.37	395.70	183.26	00	214.67	
2020-21 (09/2020 तक)	2.110	214.670		51.34	50.17	702.65	418.98	In progress		

(iv) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड

⬇

प्रबंध निदेशक), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

⬇

मुख्य अभियन्ता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

⬇

अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

⬇

अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह '**फरवरी 2019 एवं फरवरी 2020** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2020) तक निरीक्षण नहीं किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी – लागू नहीं

4. फार्म 51:

भाग प्रथम - लागू नहीं

भाग द्वितीय - लागू नहीं

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम –
(ख) सामग्री क्रय -
(ग) नगद परिशोधन - लागू नहीं
(घ) निक्षेप -
(ङ) भण्डार -

भाग 2 ब

प्रस्तर - 01: धनराशि ₹ 7.58 लाख का अलाभकारी व्यय।

विश्व बैंक पोषित द्वितीय चरण - उत्तराखंड पेयजल परियोजना अंतर्गत विश्व बैंक परियोजना इकाई, हरिद्वार में 10 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों सैदपुर, भंगेरी मोहब्बतपुर, नगला इमरती, ढंढेरा, मोहनपुर मोहब्बतपुर, रावली महमूद, बहादराबाद, जगजीतपुर, पदमपुर व काशीरामपुर की पेयजल योजनाओं का चयन किया गया था जिनमें से परियोजनाओं की लागत बढ़ने के कारण पदमपुर, काशीरामपुर व रावली महमूद परियोजनाओं को मई, 2019 में रद्द कर दिया गया था। इकाई के अभिलेखों की जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त तीनों परियोजनाओं (पदमपुर, काशीरामपुर व रावली महमूद) के बेसलाइन सर्वे/जियो टैगिंग पर इकाई द्वारा क्रमशः ₹ 1.96 लाख, ₹ 3.87 लाख व ₹ 1.75 लाख, कुल ₹ 7.58 लाख के व्यय किए गए थे। इस प्रकार, उक्त संदर्भित तीनों परियोजनाओं पर किया गया ₹ 7.58 लाख का व्यय निष्फल रहा।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि SOR की दरें बढ़ने के कारण बेसलाइन सर्वे के उपरांत तीनों परियोजनाओं को रद्द करना पड़ा।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि परियोजनाओं पर व्यय उपलब्ध/अनुशंसित धनराशि के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, उक्त तीन योजनाओं को DPR तैयार किए बिना ही लागत वृद्धि के कारण रद्द किया गया था।

अतः धनराशि ₹ 7.58 लाख के अलाभकारी व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

<u>प्रस्तर - 02</u> : असमायोजित धनराशि ₹ 9.22 लाख।

शासनादेश संख्या 99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03 दिसम्बर 2009 द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों, निकायों, प्राधिकरण आदि में समेकित निधि से प्राप्त धनराशिओं पर अर्जित ब्याज को राजकोष में लेखाशीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियाँ 04 –राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ 12 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के अंतर्गत जमा किए जाने के निर्देश पूर्व में ही दिये गए थे।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, हरिद्वार के बैंक खातों से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभिन्न बैंकों (UBI, Axis Bank, HDFC Bank एवं Yes Bank) में खोले गए खातों पर कुल धनराशि ₹ 9,22,350/- ब्याज के रूप में इकाई द्वारा अर्जित कि गयी थी, जिसका समायोजन लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2020) तक नहीं किया था जबकि इस संबंध में उपरोक्त शासनादेश द्वारा पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके है।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अर्जित ब्याज की धनराशि पर शासन/मुख्यालय से निर्देश प्राप्त कर समायोजित कर दिया जाएगा।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखंड राज्य में उक्त विश्व बैंक परीयोजना माह 11/2017 से प्रारम्भ हो गयी थी अतः अर्जित ब्याज के संबंध में इकाई द्वारा राज्य/केंद्र सरकार से अर्जित ब्याज के संबंध में निर्देश प्राप्त कर लिए जाने चाहिए थे।

अतः इकाई द्वारा कुल ₹ 9.22 लाख धनराशि के असमायोजित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

<u>प्रस्तर - 03</u> : ₹ 24.12 लाख के अधिष्ठान मदों का व्यायावर्तन कार्यों के मद से किया जाना।

वित्तीय नियमानुसार किसी कार्य की स्वीकृति जिस लेखाशीर्ष में की जाती है, उस कार्य का व्यय उसी लेखाशीर्ष में उपलब्ध बजट के सापेक्ष प्रभारित किया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम,हरिद्वार के Register of Works (कार्य पंजिका) की लेखापरीक्षा जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न अधिष्ठान से संबन्धित मदों (Vehicle Expenditure, GST/Tally preparation fees, Computer operator charges, Printing & Stationary, Advertisement, Electricity expenditure, Telephone charges and Other Office Expenditure) में सितम्बर 2020 तक कुल ₹ 24,11,823/- का व्यय किया गया है परंतु उक्त सभी मदों का व्यय कार्यों के मदों (Works Head) पर प्रभारित किया गया था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अधिष्ठान मद में धनराशि कम प्राप्त होती है अधिष्ठान मद में धनराशि उपलब्ध होने पर समायोजन कर दिया जाएगा।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि कार्यों के मद से अधिष्ठान मद पर व्यय किया जाना वित्तीय नियमों के विरुद्ध है।

अतः धनराशि ₹ 24.12 लाख के व्यायावर्तन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1		शून्य		
2				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   माप पुस्तिका संख्या –

2. सतत् अनियमितताएः

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**इं मनीष कुमार करारा**	**अधिशासी अभियंता**	**09 नवम्बर 2017 से वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II(N-PSU)